



## विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जबाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश / अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Applications) आमत्रित किये जाते हैं :-

### 1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणि क	तकनीकी / प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	66	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्युटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्युटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष	31.10.2022

### 2. आवेदन हेतु दिशा-निर्देश :-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाइन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिये जायेंगे।
- सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) में समर्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होंगी। आवेदन पत्र से पूर्व भीलवाडा जिले की वेबसाइट <https://bhilwara.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति, अन्य आदेशों, दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही सही भरी गयी हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्यों कि 'एक' बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

**3. परीक्षा शुल्क :—** आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रुपये परीक्षा शुल्क सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, जयपुर (IFSC Code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करावे एवं उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल करावे। अजा/अजजा/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।

**4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तेः—**

सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ 61(21) SSAAT/नियमावली/23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता, आयु, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार हैं जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

**ब्लाक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक हैं।**

1. प्रशैक्षणिक योग्यता — पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता— RSCIT या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु — आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होगे।
6. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

**चयन प्रक्रिया :—**

1. उपरोक्त सभी अहर्ताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :—
  - (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 (1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
  - (ख) बिन्दु संख्या 4 (5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
  - (ग) बिन्दु संख्या 4 (6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
  - (घ) बिन्दु संख्या 4 (4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त आहरता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन के समय आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत अंके प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी।
4. लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों/आवेदकों की संख्या कम होने की स्थिति में योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर सफल अभ्यर्थीयों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जावेगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है।


5. आवेदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आंबटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिको) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण/रोस्टर प्रणाली के प्रावधान की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जावेगा।

#### **6. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :—**

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2022 की मध्यरात्रि 12 बजे तक ई-मेल आई डी [sabhilwara.egs@gmail.com](mailto:sabhilwara.egs@gmail.com) पर प्राप्त होने पर स्वीकार किये जायेगे।

#### **7. मेरिट बनाना एंव दस्तावेजो/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :—**

1. दस्तावेजों की सत्यता एंव विधि सम्मतता के लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन सम्बंधित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते हैं वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
3. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवाये लिया जाना प्रस्तवित हैं, वे पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा रक्षाईकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत् कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरान्त पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एंव पात्रताधारी/संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिये नवीन अनुबंध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रु के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवाये पूर्णतः अस्थायी एंव मासिक संविदा आधारित हैं।
4. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
5. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकरी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग सह अध्यक्षा कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होंगे।
6. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल भीलवाडा जिला न्यायालय होगा।



(आशीष मोटाडी)

जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस  
एंव जिला कलक्टर भीलवाडा

जिला .....

आवेदन पत्र का प्रारूप

**ब्लॉक हंसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप**

आवेदक का नाम ..... जन्म की तारीख ..... आयु (दिनांक ..... 10.2022 को) वर्ष ..... मास .....  
 पिता/पति का नाम ..... भाता का नाम ..... विवाहिक स्थिति ..... वर्ग ..... विशेष वर्ग .....  
 वार्षिक पारिवारिक आय ..... मोबाइल नंबर ..... वैकल्पिक मोबाइल नंबर .....  
 ई-मेल ..... स्थाई पता ..... गौथ का नाम ..... ग्राम पंचायत का नाम .....  
 पंचायत समिति का नाम ..... जिला ..... आधार नंबर .....  
 पत्राचार का पता .....

**शैक्षणिक योग्यता**

क्रसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

**तकनीकी योग्यता**

क्रसं	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	अनुक्रानक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	RSCIT								
2.	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं ? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो अनुमत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

क्रसं	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	करत्व की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अंकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

**डिबार्मेट / आपराधिक मामलों का विवरण**

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हाँ / नहीं

क्या आपको किसी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हाँ / नहीं

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर